अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013–14 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े **तालिका 1.1.1** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	● कर राजस्व	17,272.77	21,419.33	26,973.44	30,581.70	32,342.12
	● कर–भिन्न राजस्व	6,382.04	5,719.77	7,482.73	7,000.22	7,704.93
	योग	**23,654.81**	**27,139.10**	**34,456.17**	**37,581.92**	**40,047.05**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	11,076.99	15,638.52	18,219.14	20,805.16	22,715.14[1]
	● सहायक अनुदान	6,662.87	9,076.56	9,928.77	12,040. 20	11,776.82
	योग	**17,739.86**	**24,715.08**	**28,147.91**	**32,845.36**	**34,491.96**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)**	41,394.67	51,854.18	62,604.08	70,427.28	74,539.01
4.	**3 से 1 का प्रतिशत**	**57**	**52**	**55**	**53**	**54**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें । शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 40,047.05 करोड़) का 54 प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 46 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 **तालिका 1.1.2** वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तलिका 1.1.2

कर राजस्व का विवरण

								(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**		**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2012–13 की तुलना में 2013–14 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत**
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	*बजट अनुमान*	8012.11	9320.00	11830.00	14000.00	16500.00	(+) 17.85
		वास्तविक	7723.82	10256.76	12516.73	14856.30	15549.89	(+) 4.67
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	*बजट अनुमान*	2760.00	3400.00	4050.00	4800.00	5750.00	(+)19.79
		वास्तविक	2951.94	3603.42	4316.49	5078.06	5807.39	(+) 14.36
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	*बजट अनुमान*	1560.00	1900.00	2000.00	3200.00	4000.00	(+) 25.00
		वास्तविक	1783.15	2514.27	3284.46	3944.24	3389.99	(–) 14.05
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	*बजट अनुमान*	1460.00	1500.00	1815.00	2150.00	2640.00	(+)22.79
		वास्तविक	1332.88	1746.20	2047.46	2395.03	2578.74	(+) 7.67
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	*बजट अनुमान*	1000.00	1090.00	1370.00	1370.00	1600.00	(+) 16.79
		वास्तविक	2146.49	1476.32	1773.32	1477.71	1972.20	(+) 33.45
6.	वाहनों पर कर	*बजट अनुमान*	900.00	1050.00	1285.00	1400.00	1650.00	(+)17.86
		वास्तविक	919.01	1198.38	1357.12	1531.25	1598.93	(+) 4.42
7.	भू–राजस्व	*बजट अनुमान*	161.81	182.46	500.31	550.00	572.00	(+) 4.0
		वास्तविक	180.03	360.81	279.06	443.59	366.23	(–) 17.44
8.	अन्य कर	*बजट अनुमान*	221.08	227.54	267.69	842.00	670.00	(–) 20.42
		वास्तविक	235.45	263.17	1398.85	855.52	1078.75	(+) 26.09
योग		*बजट अनुमान*	**16075.00**	**18670.00**	**23118.00**	**28312.00**	**33382.00**	(+) 17.91
		वास्तविक	**17272.77**	**21419.33**	**26973.44**	**30581.70**	**32342.12**	(+) 5.76

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

राज्य उत्पाद शुल्क – लम्बित प्रकरणों के निराकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – अवैध कॉलोनियों के पंजीयन न करने संबंधी लोकहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं वैश्विक मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क – विगत वर्षो से संबंधित बकाया राजस्व की प्राप्ति के कारण 33.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य –शीर्ष ''अन्य'' में राजस्व प्राप्तियों में 26.09 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सड़क विकास कर की वसूली के कारण हुई।

अनुरोध के बावजूद अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किये गये।

1.1.3 तालिका 1.1.3 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.1.3

कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2009.10	2010.11	2011.12	2012.13	2013.14	2012–13 की तुलना में 2013–14 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	*बजट अनुमान*	1566.00	1650.00	2540.00	2300.00	2220.00	(-) 3.40
		वास्तविक	1590.47	2121.49	2038.31	2443.39	2305.17	(-) 5.66
2.	ब्याज प्राप्तियां	*बजट अनुमान*	176.98	167.09	166.90	202.00	204.15	(+) 1.06
		वास्तविक	1284.03	298.56	1571.41	301.47	317.86	(+) 5.44
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	*बजट अनुमान*	850.00	1000.00	1027.32	969.04	1100.00	(+) 13.51
		वास्तविक	802.00	836.61	878.81	910.38	1035.72	(+) 13.77
4.	लोक निर्माण	*बजट अनुमान*	19.36	42.31	55.54	63.55	38.49	(-) 39.43
		वास्तविक	27.37	36.77	47.92	33.22	46.82	(+) 40.94
5.	विविध सामान्य सेवाएें	*बजट अनुमान*	4.10	20.09	22.07	19.88	16.95	(-) 14.74
		वास्तविक	399.12	143.00	145.44	30.40	33.68	(+) 10.49
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएें	*बजट अनुमान*	106.38	113.42	117.50	93.49	184.40	(+) 97.24
		वास्तविक	80.94	85.14	106.05	239.15	380.21	(+) 58.98

7.	पुलिस	*बजट अनुमान*	64.03	65.00	85.00	100.00	107.04	(+) 7.04
		वास्तविक	41.98	62.55	63.19	83.59	71.82	(-) 14.08
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	*बजट अनुमान*	43.04	49.54	40.11	21.00	46.65	(+) 122.14
		वास्तविक	21.84	22.77	30.16	44.83	57.76	(+) 28.84
9.	सहकारिता	*बजट अनुमान*	9.96	8.60	9.01	9.59	10.06	(+) 4.90
		वास्तविक	9.08	17.05	11.65	13.02	12.24	(-) 5.99
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	*बजट अनुमान*	73.23	82.31	90.44	96.18	116.86	(+) 21.50
		वास्तविक	56.75	194.89	263.15	137.74	138.48	(+) 0.01
11.	अन्य कर.भिन्न प्राप्तियां	*बजट अनुमान*	1023.09	1123.64	1845.11	3452.27	3538.40	(+) 2.49
		वास्तविक	2068.46	1900.94	2326.64	2763.03	3305.17	(+) 19.62
योग		*बजट अनुमान*	**3937.00**	**4322.00**	**5999.00**	**7327.00**	**7583.00**	**(+) 3.49**
		वास्तविक	**6382.04**	**5719.77**	**7482.73**	**7000.22**	**7704.93**	**(+) 10.06**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

सम्बंधित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

वानिकी एवं वन्य जीवन – इस शीर्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्वि, विक्रय मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

लोक निर्माण – उप–शीर्ष ''लो.नि.भवन'' के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्वि के कारण वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि हुई ।

अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– उप–शीर्ष ''दण्ड एवं राजस्व'' में प्राप्तियों में वृद्वि के कारण कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य – प्राप्तियों में वृद्वि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में प्राप्ति में वृद्वि के कारण हुई।

अनुरोध के बावजूद अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2014 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 957.18 करोड़ थी जिसमें से ₹ 479.96 करोड़ की राशि **तालिका 1.2** में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	शासन का प्रत्युत्तर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	576.47	320.92	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	74.61	69.13	₹ 5.67 करोड़ की राशि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी तथा ₹ 47.32 करोड़ राशि की वसूली न हो पाने के कारण इसके अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है। बकाया राशि ₹ 21.62 करोड़ पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	114.91	62.73	
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	14.21	12.07	
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	176.98	15.11	आर. सी.सी की अवसूली के कारण बकाया ₹ 114.96 करोड़ एवं न्यायालय प्रकरणों के कारण बकाया ₹ 40.14 करोड़ विभागीय प्राधिकारियों से विरूद्ध बकाया ₹ 0.23 करोड़ शेष बकाया ₹ 21.65 पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
योग		957.18	479.96	

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 479.96 करोड़ की वसूली विगत पाँच वर्षो से भी अधिक समय से बकाया थी और इसकी वसूली के लिये गंभीरतापूर्वक कोई प्रयास नही किये गये । ₹ 432.64 करोड़[2] के बकाया़ विभागीय प्रधिकारियों के पास शेष थे। ₹ 47.32 करोड़ के अपलेखन के प्रकरण संबंधित विभागों द्वारा भेजे जा रहे थे।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वाहन कर, वृत्ति कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण **तालिका 1.3** में वर्णित है :

[2] पिछले पांच वर्षो की कुल बकाया राशि की स्थिति दिनांक 31.03.2014 ₹ 479.96 करोड़ में से अवसूली योग्य राशि ₹ 47.32 करोड़ का अपलेखन किया गया।

तालिका 1.3

निर्धारण का बकाया

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2011–12	1,24,088	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
	2012–13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
	2013–14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
वृत्ति कर	2011–12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65,98
	2012–13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19
	2013–14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15
प्रवेश कर	2011–12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
	2012–13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
	2013–14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
विलासिता कर	2011–12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
	2012–13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
	2013–14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
निर्माण संविदाओं पर कर	2011–12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53
	2012–13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11
	2013–14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23

इस प्रकार वर्ष 2013–14 में वाणिज्य कर /वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई किन्तु वर्ष 2011–12 की तुलना में उपलब्धि कम रही।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मॉंगो का विवरण **तालिका 1.4** में दिया गया है

तालिका 1.4

कर अपवंचन

स. क्र.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरण	2013–14 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2014 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	253	263	516	239	44.19	277
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	00	00	00	00	00	00
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	16394	9876	26270	12694	49.43	13576
योग		16647	10139	26786	12933	93.62	13853

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के लंबित प्रकरण सबसे अधिक थे।

शासन को अंतरिक नियंत्रण प्रणाली/आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाना चाहिये जिससे कि कमियों एवं दोषपूर्ण व्यवस्था और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2013–14 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख **तालिका 1.5** में किया गया है :

तालिका 1.5

वापसियों के लंबित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	660	94.68	200	2.81	1749	4.49	14	0.11
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4422	286.72	46	4.14	654	3.73	20	1.06
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	4570	316.24	49	2.10	914	3.42	23	0.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	512	65.16	169	4.16	1482	4.80	11	0.27
5.	वापसी का प्रतिशत	89.92	82.91	31.30	40.14	38.32	41.60	67.64	76.92

म.प्र. वेट अधिनियम के अनुसार, यदि व्यवसाई को अतिरिक्त राशि आदेश पारित होने के 90 दिनों में वापस नहीं किये जाते हैं तो एक प्रतिशत प्रतिमाह एवं इसके पश्चात 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह का ब्याज वापसी न होने तक देय होगा।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में वापसी के लम्बित प्रकरणों के निराकरण की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की

तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमने दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 3,757 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 16,280 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 7,520.60 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2014 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनो का विवरण

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,465	3,695	3,757
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	13,506	14,752	16,280
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (करोड़ ₹ में)	6,834.02	6,783.96	7,520.60

1.6.1 30 जून 2014 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण **तालिका 1.6.1** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	वित्त	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	1,185	6,304	1,177.29
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	54	180	458.83
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	250	987	785.78
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,109	3,516	2,680.89
5..	परिवहन	वाहनों पर कर	456	2,592	391.74
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	441	1,377	260.40
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	262	1,324	1,765.67
योग			3,757	16,280	7,520.60

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी 2013–14 तक जारी 259 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए

प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख, महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे ।

शासन को एक प्रभावशाली व्यवस्था निर्मित करना चाहिये जिसे कि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर समुचित प्रत्युत्तर शीघ्रतापूर्वक दिये जा सकें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2013–14 में आहूत लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण **तालिका 1.6.2** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6.2

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

				(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बैठकों की संख्या**	**निराकृत कंडिकाओं की संख्या**	**राशि**
1.	भू–राजस्व विभाग	2	195	66.42
2.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	1	87	10.07
3.	खनन एवं भौमिकी विभाग	1	145	589.43
4.	वाणिज्यिक कर विभाग	1	56	1.19
योग		**5**	**483**	**667.11**

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर/कर –भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें ।

वर्ष 2013–14 के दौरान, कुल 401 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.6.3** दिया गया है

तालिका 1.6.3

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या	अन्तर्निहित राजस्व
1.	2.	3.	5.
वाणिज्यिक कर	2013–4	–	–
उत्पाद शुल्क	2013–14	27	–
मुद्रांक एवं पंजीयन	2013–14	25	–
परिवहन	2013–14	15	–
अन्य	2013–14	334	–
योग		**401**	

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 40 कंडिकाऐं (37 कंडिकाओं में संयोजित) जिनमें तीन निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थीं सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा मई 2014 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद निष्पादन लेखापरीक्षा सहित किसी भी प्रारूप कण्डिका का जवाब नहीं भेजा। इन विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । यद्यपि निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए है उन्हे प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया हैं।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) के द्वारा दिसम्बर 2002 में जारी किये गये अनुदेशों के द्वारा निर्देशित किया गया कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में रखे जाने के बाद पश्चात संबंधित विभाग लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर कार्यवाही करेंगे तथा विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन रिपोर्ट के विधानसभा में रखे जाने के तीन माह के भीतर पी.ए.सी. के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 को समाप्त हुऐ वर्ष के लिये प्रतिवेदन जिसमें दो सौ इक्यानवे कण्डिकाऐं (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थीं, राज्य विधान सभा के समक्ष जुलाई 2010 से जुलाई 2014 के मध्य रखा गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, तथा खनन) की 120 कण्डिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए (मार्च 2014)।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चयनित 26 कण्डिकाओ पर चर्चा की गई तथा इन पर कोई अनुशंसा नही की गई।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खनन विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है। अग्रलिखित कण्डिकायें 1.7.1 से 1.7.2 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व शीर्ष–0853 के अधीन खनन विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले नौ वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2014 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.7.1** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं
1.	2005—06	284	806	575.33	26	136	226.81	55	199	40.30	255	743	761.84
2.	2006—07	255	743	761.84	19	74	33.33	4	47	11.90	270	770	783.27
3.	2007—08	270	770	783.27	21	85	90.06	6	58	70.16	285	797	803.17
4.	2008—09	285	797	803.17	32	179	368.14	5	39	161.19	312	937	1010.12
5.	2009—10	312	937	1010.12	41	268	1824.35	61	211	181.12	292	994	2653.35
6.	2010—11	292	994	2653.35	37	208	282.36	130	313	193.73	199	889	2741.98
7.	2011—12	199	889	2741.98	33	234	174.66	30	148	1302.50	202	975	1614.139
8.	2012—13	202	975	1614.139	35	254	147.18	04	09	0.063	233	1220	1761.256
9.	2013—14	233	1220	1761.256	37	280	638.55	06	155	589.95	264	1345	1809.856

शासन द्वारा समिति विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कण्डिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2005—06 के प्रारम्भ में 284 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 806 कण्डिकाऐं लम्बित थी। वर्ष 2013—14 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 264 एवं कंडिकाओं की संख्या 1345 थी। लंबित कण्डिकाओं का कम संख्या में निराकरण इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.7.2** में दर्शाई गई है :

<u>तालिका 1.7.2</u>

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वर्ष वसूली की गई	31.03.14 तक वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2003–04	07	19.76	3	2.46	..	4.11
2004–05	04	2.95	2	2.23	0.13	1.00
2005–06	06	2.16	1	0.13	..	0.20
2006–07	08	5.20	8	5.26	0.29	3.33
2007–08	1(निष्पादन ले.प.)	395.76	1	0.11	..	63.24
2008–09	08	102.93	1	1.53	1.01	2.28
2009–10	11	447.89	3	138.24	0.32	2.31
2010–11	11	115.46	8	83.67	0.07	0.81
2011–12	12	80.34	3	23.92	..	..
2012–13	1(निष्पादन ले.प.)	46.43	1	9.44	..	..

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षो में वसूली की प्रगति अत्यंत धीमी रही। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही संबंधित 'पार्टियों पक्षो' से 'वसूली योग्य बकाया' के रूप मे की जा रही थी। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग/शासन के पास कोई कार्यप्रणाली नही है

शासन के स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिये एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं । इन निष्पादन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है ।

शासन के भू–राजस्व विभाग , उर्जा, वन राजस्व, परिवहन उत्खनन, मुद्रांक एवं पंजीयन एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर पिछले पाँच वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षाओं का विस्तृत विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है

तलिका 1.8

वर्ष	निष्पादन लेखा परीक्षा का नाम	अनुसंशाओं की संख्या
2008–09	विक्रय कर से मूल्य संवर्धन कर (वेट) में परिवर्तन	08
	मध्य प्रदेश में वन राजस्व	08
	जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण	06
2009–10	मध्य प्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियाँ	07
	विद्युत शुल्क एवं अधिभार की वसूली एवं एकीकरण	04
2010–11	वाणिज्यिक कर चुंगी नाकों की कार्यप्रणाली	07
	अंतर्राज्यीय व्यापार में घोषणा प्रपत्रो का उपयोग	03
	वाहन कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण	03
2011–12	वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली	04
	मदिरा पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण	04
2012–13	मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियाँ	07

स्वीकृत अनुसंशाओं को लागू करने के संबंध में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। (दिसम्बर 2014)

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाइयों को राजस्व संग्रहण पुरानी कंडिकाओं इत्यादि के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के योजना आयोग के प्रतिवेदन, कर सुधार समिति की अनुसंशाऐं पिछले पाँच वर्षो की लेखापरीक्षा एवं इनके प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान 993 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में 380 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 376 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 99

प्रतिशत थी। विधान सभा चुनावों के कारण चार इकाइयों[3] की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के उद्‌देश्य से उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन प्राप्तियों की 376 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 5,64,313 प्रकरणों में ₹ 1267.93 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला । वर्ष के दौरान, विभागों ने वर्ष 2013–14 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 1,39,791 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 526.24 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2013–14 के दौरान विभागों ने वर्तमान वर्ष की लेखापरीक्षा से संबंधित 1,042 प्रकरणों में ₹ 10.03 करोड़ संग्रहीत किये ।

1.11 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 कंडिकायें (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 368.07 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है।

विभागों/शासन ने ₹ 54.64 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 5.94 लाख की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VII में की गई है ।

[3] भू–राजस्व की तीन इकाइयों तथा राज्य उत्पाद शुल्क की एक इकाई।